उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
ए–1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050,
कानपुर–208 024
दूरभाष : 2582851--53
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाईट : www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

355/comp
15.2.16

सन्दर्भ सं0 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/ दिनांक

–: कार्यालय आदेश :–

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.12.15 को सम्पन्न 289वीं बैठक में एकीकृत औद्योगिक नगरी में आवासीय भूखण्डों के आरक्षित वर्गो के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेशों को अवक्रमित करते हुए विभिन्न वर्गो में आरक्षण पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है:–

1. सामान्य	–	50%
2. उद्यमी वर्ग / सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत इकाई के कार्मिक (इकाई द्वारा संस्तुत)	–	27%
3. उत्तर प्रदेश के सांसद / विधायक (वर्तमान एवं पूर्व)	–	5%
4. उ0 प्र0 शासन के कार्मिक	–	5%
5. निगम के पूर्ण कालिक नियमित कर्मचारियों / अधिकारियों / प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियो एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों हेतु	–	5%
6. प्रदेश में बेंच / बार से सम्बन्धित आवेदक	–	3%
7. उत्तर प्रदेश में प्रेस से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त पत्रकार /	–	3%
8. प्रदेश के विकलांग व्यक्ति	–	2%

उपरोक्त में अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था हॉरिजन्टली शासनादेश के अनुसार उपलब्ध रहेगी। वर्ग का चयन करने पर आवेदन उसी श्रेणी में विचारित किया जायेगा। एक बार किसी भी स्कीम में आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड उपलब्ध हो जाने पर दुवारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। उपरोक्त आरक्षित वर्ग के बिन्दु 4 एवं 5 में वर्णित वे ही कार्मिक पात्र होगें जो निम्न शर्ते पूर्ण करते हों :–

1. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं शासन के कार्मिक पूर्णकालिक होगें तथा निगम एवं शासन में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण कर चुके हो तथा आवंटित भूखण्ड को 10 वर्षो तक पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त किन्ही अन्य को हस्तान्तरित नही कर सकेगें।

2. एक कार्मिक अथवा उसका परिवार एक ही आवेदन कर सकेगा।

3. प्रत्येक स्कीम में ऐसे कार्मिक एवं उनके परिवारजन जिन्हे पूर्व की आवासीय स्कीम में भूखण्ड प्राप्त हो चुका है, आवेदन नही कर सकेंगें।

Scanned with CamScanner

4. ऐसे कार्मिक जिन्हें किसी अदालत अथवा प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई दण्ड दिया गया हो वे आवेदन हेतु अर्ह नही होगें।

5. भूखण्डों की संख्या से आवेदन ज्यादा होने पर आवेदित भूखण्ड के आकार की श्रेणीवार लाटरी की जाएगी।

6. आवंटन प्रचलित दर पर किया जाएगा तथा भूमि की लागत का भुगतान, ब्याज में छूट आदि भी सामान्य आवंटियों की भाँति ही देय होगी तथा किसी भी प्रकार से कोई अनुदान नही दिया जाएगा।

7. अन्य सभी शर्ते जो सामान्य आवेदकों के लिये लागू होती है इन आवंटनों पर भी लागू होगीं

8. निगम के प्रबन्ध निदेशक प्रत्येक स्कीम में आरक्षित भूखण्डों का प्रतिशत निर्धारित करने के लिये सक्षम होगें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निगम की ट्रान्स गंगा परियोजना में आवासीय भूखण्डों के विपणन हेतु प्रकाशित विज्ञापन एव ब्रोशर मे सम्मिलित की गयी शर्तो पर भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 3242-46 एसआईडीसी–आईए–पॉलिसी वॉल्यूम–16 दिनांक 08-2-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
2. महाप्रबन्धक (विकास), उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर को निगम की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,.......................................
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, औद्यागिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Mgr(C)
15/2/16

16/02/16

Scanned with CamScanner